ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

क्रमांक :008/2015-16/OO/132/317
दिनांक : 10.02.2016

परिपत्र

विश्वविद्यालय में उपलब्ध समस्त संसाधनों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। अतः विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाताओं / विभागाध्यक्षों / केंद्र निदेशकों / क्षेत्रीय केंद्र प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने विद्यापीठों / विभागों / केंद्रों / क्षेत्रीय केंद्रों में उपलब्ध गैर-उपभोज्य (Non-Consumable) सामग्रियों का रिकार्ड विभागीय वस्तु-सूची रजिस्टर (Inventory Register) में अद्यतन करवाना सुनिश्चित करें।

कोई भी कम्प्यूटर / लैपटॉप उपयोगकर्ता के नाम पर ही दिया जाएगा। इससे अदेयता-प्रमाणपत्र (No Dues) जारी करते समय सुविधा होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि जो सामग्री जिस शिक्षक / अधिकारी / कर्मी के नाम से आबंटित की गई है, वह उसी के नाम रजिस्टर में दर्ज़ हो। रिकार्ड बनाने में सहयोग अपेक्षित होने की स्थिति में भंडार एवं क्रय विभाग को संपर्क किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय में उपलब्ध आंतरिक संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग में सभी संबंधितों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 008/2014-15/EXAM-10-3/45 दिनांक 27.10.2015 एवं परिपत्र क्रमांक 008/2015-16/OO/132/161 दिनांक 10.11.2015 (प्रति संलग्न) के तारतम्य में समस्त अधिष्ठाताओं / विभागाध्यक्षों / केंद्र निदेशकों / क्षेत्रीय केंद्र प्रभारियों से पुनः अनुरोध है कि वे अपने विद्यापीठ / विभाग / केंद्र / क्षेत्रीय केंद्रों में उपलब्ध उपकरण, उपस्कर एवं फर्नीचर की उपलब्धता तथा उसकी वास्तविक उपयोगिता का आकलन स्वयं करें तथा अतिरिक्त सामग्री, जो अन्यत्र उपयोग में लाई जा सकती हो, को चिह्नित कर भंडार एवं क्रय विभाग को दिनांक 18.02.2016 तक हर हालत में अवगत कराने का कष्ट करें।

11.02.2016

(कुलसचिव)

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

01. **समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / केंद्र निदेशक / क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी**
02. **जनसंपर्क अधिकारी** को विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :-

01. **मा. कुलपति,** म.गा.अ.हि.वि., वर्धा
02. **कुलसचिव,** म.गा.अ.हि.वि., वर्धा
03. **वित्ताधिकारी,** म.गा.अ.हि.वि., वर्धा

(8)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
संसद द्वारा पारित अधिनियम 1996, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
A Central University Established in Parliament by Act No. 3 of 1996

ज्ञान शांति मैत्री

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

पत्रांक : 008/2014-15/EXAM-10-3/145
दिनांक : 27.10.2015

परिपत्र

वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के आंतरिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग हो। अतः समस्त अधिष्ठाताओं / विभागाध्यक्षों / केंद्र निर्देशकों / विभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने विद्यापीठ / विभाग / केंद्र में उपलब्ध उपकरण, उपस्कर एवं फर्नीचर की उपलब्धता तथा उसकी वास्तविक उपयोगिता का आकलन कर अतिरिक्त सामग्री, जो अन्यत्र उपयोग में लाई जा सकती हो, को चिन्हित कर भण्डार एवं क्रय विभाग को दिनांक 06.11.2015 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

27/10/15

(कुलसचिव)

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

01. समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / केंद्र निर्देशक / विभाग प्रमुख
02. जनसंपर्क अधिकारी को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि :–

01. मा. कुलपति, म.गा.अ.हि.वि., वर्धा
02. मा. प्रतिकुलपति, म.गा.अ.हि.वि., वर्धा

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज खान
Kadar Nawaz Khan
कार्यकारी कुलसचिव
Acting Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-251661
फैक्स / Fax : +91-7152-230903

क्रमांक :008/2015-16/OO/132/ 161
दिनांक : 10.11.2015

परिपत्र

विश्वविद्यालय के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवश्यक है कि इसके आंतरिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो। अतः पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 008/2014-15/EXAM-10-3/45 दिनांक 27.10.2015 के तारतम्य में समस्त अधिष्ठाताओं / विभागाध्यक्षों / केंद्र निदेशकों / विभाग प्रमुखों / छात्रावास अधीक्षकों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे अपने विद्यापीठ / विभाग / केंद्र में उपलब्ध उपकरण, उपस्कर एवं फर्नीचर की उपलब्धता तथा उसकी वास्तविक उपयोगिता का आकलन कर अतिरिक्त सामग्री, जो अन्यत्र उपयोग में लाई जा सकती हो, को चिन्हित करें तथा भंडार एवं क्रय विभाग को दिनांक 16.11.2015 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 10/11/15

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

01. **समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / केंद्र निदेशक / विभाग प्रमुख / छात्रावास अधीक्षक**
02. **जनसंपर्क अधिकारी** को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा):-

01. **मा. कुलपति,** म.गा.अ.हि.वि., वर्धा
02. **मा. प्रतिकुलपति,** म.गा.अ.हि.वि., वर्धा
03. **वित्ताधिकारी,** म.गा.अ.हि.वि., वर्धा